भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4858

उत्तर देने की तारीख : 25.03.2021

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मुफ्त संपार्श्विक ऋण

4858. श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे:
डॉ. वीरेन्द्र कुमार:
कुमारी प्रतिमा भौमिक:
श्री प्रताप सिम्हा:
श्री भगवंत खुबा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार प्रत्येक सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यमों को एक करोड़ रुपये तक के मुफ्त संपार्श्विक ऋण प्रदान कर रही है तथा यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान झारखंड तथा महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों को संवितरण का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार के पास ब्याज राजसहायता पात्रता प्रमाणपत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक व्यय की गई धनराशि का कोई आंकड़ा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

(श्री नितिन गडकरी)

(क) : सरकार किसी भी व्यक्तिगत एमएसई को किसी भी प्रकार के ऋण प्रत्यक्ष रूप से प्रदान नहीं करती है। तथापि, यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएई) मंत्रालय की क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों से कोलेट्रल मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करती है। यह स्कीम सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है जो सदस्य ऋणप्रदाता संस्थानों (एमएलआई) को उनके द्वारा संस्वीकृत 2 करोड़ रुपए तक की कोलेट्रल सुरक्षा और तृतीय पक्ष की गारंटी के बिना सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को क्रेडिट सुविधा के लिए गारंटी प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान झारखंड और महाराष्ट्र सहित इस स्कीम के तहत कवर की गई गारंटियों का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख): जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणन (आईएसईसी) के तहत खादी संस्थानों को प्रदान की गई निधि का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	जारी की गई ब्याज सब्सिडी (करोड़ रुपए में)
2017-18	39.12
2018-19	34.87
2019-20	38.02
	स्रोत:केवीआईसी

****

अनुबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4858, जिसका उत्तर दिनांक 25.03.2021 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुमोदित सीजीटीएमएसई गारंटी डेटा					
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 18-19		वित्त वर्ष 19-20	
		गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)	गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान और निकोबार	332	30.10	264	29.45
2	आंध्र प्रदेश	29812	979.41	50562	1556.78
3	अरूणाचल प्रदेश	347	24.28	415	46.95
4	असम	12978	792.69	14070	686.72
5	बिहार	18464	1295.92	24531	1303.32
6	चंडीगढ़	7752	335.31	1778	133.61
7	छत्तीसगढ़	5252	497.30	14022	705.70
8	दादरा और नगर हवेली	111	24.69	256	26.88
9	दमन और दीव	73	27.14	191	32.48
10.	दिल्ली	13615	1350.09	24917	2182.94
11.	गोवा	1353	120.22	2594	183.07
12.	गुजरात	21423	2104.14	58595	3859.49
13.	हरियाणा	5179	628.92	25916	1582.88
14.	हिमाचल प्रदेश	2682	209.69	7538	436.78
15.	जम्मू और कश्मीर	11724	348.33	12887	416.03
16.	झारखंड	11281	1244.52	15340	1116.03
17.	कर्नाटक	27796	2496.55	68572	4068.61
18.	केरल	17189	851.75	33739	1248.12
19	लद्दाख	लागू नहीं	लागू नहीं	26	2.46
20	लक्षद्वीप	15	0.60	52	0.91
21	मध्य प्रदेश	26325	1572.92	40822	2098.28
22	महाराष्ट्र	41206	3718.20	83709	5807.82
23	मणिपुर	1419	43.89	939	42.25
24	मेघालय	515	44.54	1153	70.46
25	मिजोरम	267	23.09	473	29.06
26	नागालैंड	1003	39.62	917	60.95
27	ओडिशा	19266	1213.41	26167	1347.05
28	पुदुचेरी	489	37.81	1578	80.41
29	पंजाब	6850	559.56	24542	1022.21
30	राजस्थान	20013	1148.29	41289	1997.79
31	सिक्किम	280	24.94	435	22.92
32	तमिलनाडु	37692	2543.01	89725	4352.82
33	तेलंगाना	17037	1021.41	39162	2211.72
34	त्रिपुरा	455	24.22	1378	53.67
35	उत्तर प्रदेश	49983	2862.95	89271	4154.02
36	उत्तराखंड	4693	318.33	11158	482.19
37	पश्चिम बंगाल	20649	1610.74	37667	2398.35
कुल		**435520**	**30168.57**	**846650**	**45851.22**

स्रोत:सीजीटीएमएसई